बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना – 800001
(पंजीयन सं. – 633/2003)
Website : basabihar.in, E-mail Id: infobasa1@gmail.com

अध्यक्ष,
* सुशील कुमार
मो.– 9431091417, 7004466338
Email: shushilkumar09@gmail.com

महासचिव,
* खुर्शीद अनवर सिद्दिकी
मो. – 9771048046,
Email:siddiquikhursheed1@gmail.com

उपाध्यक्ष * किशोरी पासवान
* कमलेश सिंह
संयुक्त सचिव * अतुल कुमार वर्मा
* कुमार रविन्द्र
कोषाध्यक्ष * मिथिलेश कुमार साहु
संयुक्त कोषाध्यक्ष * मृणायक दास

पत्रांक 19 दिनांक 27-8-2019

सेवा में,

निबंधक महानिरीक्षक,
बिहार सरकार।

विषय :– **बिहार प्रशासनिक सेवा संघ के Bye Laws में संशोधन के संबंध में।**

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक–16.07.2017 के आम सभा में निम्न संशोधन किये गये :–

1. BASA Bye Laws के कंडिका–2(ii) (b) में वर्णित है कि The Subscription for life membership shall be Rs. 1000/–(One Thousand) or as decided by the central executive committee from time to time. इसे बढ़ाकर 5000 करने का निर्णय केन्द्रीय कार्यकारिणी की बैठक में दिनांक–22.12.2013 में लिया गया।

दिनांक–18.12.2016 को केन्द्रीय कार्यकारिणी की बैठक में यह चर्चा हुई कि Life Time जो Working Member हैं उन्हें ही Membership देना होता है, इसमें आवश्यक संशोधन का प्रस्ताव पारित किया गया कि Life Time Membership सेवानिवृत पदाधिकारी, BAS से IAS से प्रोन्नत पदाधिकारी एवं तदोपरान्त सेवानिवृत पदाधिकारी Life Time Membership दे सकते हैं। जिन्हें विशेष आयोजन पर आमंत्रित किया जा सके। इसे आगामी आम सभा में पारित कराने पर विचार किया गया।

2. दिनांक–13.12.2015 का कंडिका–(4) केन्द्रीय कार्यकारिणी में सेवा निवृत संघ के पदधारक या संघ को स्वेच्छा से सेवा देने वाले पदाधिकारी को सम्मानित/संगरक्षक सदस्य के रूप में रखने पर विचार किया गया। आगामी आम सभा में इसका अनुमोदन प्राप्त किया जा सकेगा।

अतः अनुरोध है कि Basa Bye Laws में उपरोक्त संशोधन वर्णित की जाय।

अनुलग्नक :–
(i) दिनांक–22.12.2013 एवं दिनांक–18.12.2016 को हुई केन्द्रीय कार्यकारिणी की बैठक की प्रति।
(ii) दिनांक–13.12.2015 को हुई केन्द्रीय कार्यकारिणी की बैठक की प्रति।
(iii) दिनांक–16.07.2017 को आम सभा में प्रस्तावित प्रति।

27/8/19
खुर्शीद अनवर सिद्दिकी
महासचिव

27/8/19
सुशील कुमार
अध्यक्ष

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना–800 001
(पंजीयन सं०–633/2003)
Website: basabihar.in , E-mail Id : infobasa1@gmail.com

ध्यक्ष,
*सुरेश कुमार शर्मा
मो० 9431818346, 9431479774
महासचिव,
*सुशील कुमार
मो० 9431091417

उपाध्यक्ष :- * सआदत हसन मिन्टो
* राजेन्द्र राम
संयुक्त सचिव:- * राजयबन्द धार्डियार
* अनिल कुमार
कोषाध्यक्ष:- * चन्द्र शेखर सिंह
संयुक्त कोषाध्यक्ष:- * विनोद आनन्द

पत्रांक : 71 दिनांक 23/12/2013

दिनांक 22.12.13 को बिहार प्रशासनिक सेवा संघ की केन्द्रिय कार्यकारणी की हुई बैठक की कार्यवाही:-

उपस्थिति:- पंजी के अनुसार:-

सर्वप्रथम इस बात का चर्चा हुई कि विभाग स्तर पर पदस्थापित पदाधिकारी यथा उप सचिव/ संयुक्त सचिव/ अपर सचिव/ विशेष सचिव स्तर के पदाधिकारी को प्रधान सचिव/सचिव द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में (अपनी अन्य व्यस्तता के कारण) भेज दी जाती है। जबकि मुख्य सचिव का स्पष्ट निदेश है कि प्रधान सचिव/सचिव ही उनके बैठक में भाग लेंगे। जिसके आलोक में सर्वसम्मति से यह विचार किया गया कि संघ के सदस्य मुख्य सचिव के बैठक में तभी भाग लें जब मुख्य सचिव द्वारा उक्त बैठक में भाग लेने का अनुमोदन प्राप्त है। इस बिन्दु पर आगमी मुख्य सचिव से होने वाली वार्ता में संघ अपना पक्ष रखेंगा।

2. सदस्यों को बताया गया कि दिनांक 06.10.13 को कार्यकारणी की बैठक में हुए निर्णय के आलोक में (i) Bunching का लाभ नहीं दिये जाने (ii) PB-2 से PB-3 परिवर्तन को प्रथम रूपानान्तरित वित्तीय उन्नयन मानने (iii) 40वीं, 41वी, 42वीं, बैच के पदाधिकारियों की सेवावधि 10 वर्ष पूरी होने पर प्रथम रूपान्तरित वित्तीय उन्नयन नहीं देने के सदंर्भ में माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर की जा चुकी है। अन्य मामले यथा (i) 39th बैच के पदाधिकारियों को प्रथम वित्तीय उन्नयन में उत्क्रमण की तिथि से उत्क्रमित वेतन नहीं देने (ii) वरीय उप समाहर्त्ता, विशेष कार्य पदाधिकारियों को विशेष वेतन रूपया 500 नहीं देने (iii) PB-2 से PB-3 उत्क्रमण के क्रम में Notional increment नहीं देने (iv) एक ही वैच के पदाधिकारियों को विभिन्न तिथियों में सेवा सम्पुष्ट होने पर अलग-अलग वेतन प्रक्रम करने के संदर्भ में याचिका दायर होने के क्रम में है।

3. बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग पुनर्गठन, 2010 के उपरान्त मूल कोटि से उप सचिव स्तर में से कोई प्रोन्नति नहीं होने से सदस्यों द्वारा असंतोष प्रकट किया गया। इस संदर्भ में यह बताया गया कि संयुक्त सचिव स्तर में 58 एवं विशेष सचिव स्तर में 5 कुल 63 पद रिक्त है। जिसके लिए संघ के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव से कलावधि में छूट देने का अनुरोध किया गया है। जिसके आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है परन्तु कोई फलाफल अभी तक नहीं हो पाया है। जबकि सेवा पुर्नगठन के कंडिका (6) में पुर्नगठन से उत्पन्न समस्या से के समाधान के लिए माननीय मुख्यमंत्री को प्राधिकृत किया गया है। साथ ही कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का संकल्प ज्ञापांक 11601 दिनांक 20.10.82 में भी कालावधि में छूट दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रावधान के वावजूद कालावधि में छूट नहीं दिये जाने के संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट कराया जाय। क्योंकि मूल कोटि में 21 वर्ष से 13 वर्ष की सेवा अवधि होने के बाजवूद भी एक भी प्रोन्नति नहीं दी जा रही है। अगर आवश्यकता पड़ी तो संघ को माननीय उच्च न्यायालय के शरण में जाना पड़ेगा। संघ यह जानना चाहता है कि किस प्रावधान के तहत 21 वर्ष से 13 वर्ष की सेवा अवधि पूरी होने पर भी एक भी प्रोन्नति नहीं दी जा रही है।

4. गत कई बैठकों में बिहार प्रशासनिक सेवा के कुछ सदस्यों द्वारा यह इच्छा जाहिर की गई थी कि सेवानिवृत होने के उपरान्त भी उन्हें बिहार प्रशासनिक सेवा का सदस्य माना जाय। इस पर सदस्यों को बताया गया कि संघ के बायलॉज कंडिका 2 (ii) (b) में वर्णित है कि " The subscription for life membership shall be Rs 1000/- (one thousand) or as decided by the central excecutive committee from time to time." इस पर विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि इस राशि को बढ़ाकर ₹ 5000/- किया जाय। तदनुसार सदस्यों को कार्रवाई का अनुरोध किया गया।

5. बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के वाहन के लिए स्टीकर उपलबध है जिसे ₹ 100/- भुगतान कर इस्तेमाल करने का अनुरोध सभी सदस्यों से किया गया।

6. इस वर्ष मई,2013 से नवम्बर, 2013 तक सेवानिवृत बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी निम्न प्रकार हैः-

<u>मई,2013 में सेवानिवृत पदाधिकारी।</u>

1. श्री अजय कुमार सिंह- 27वीं० संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग ।
2. श्री राजेश कृष्ण सिन्हा-27वी0 अपर सचिव, राज्य सूचना आयोग ।
3. श्री जय शंकर प्रसाद यादव- 27वीं0- अपर सचिव, खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग ।
4. श्री देवेन्द्र रजक- 33वी0- संयुक्त सचिव, पर्यटन विभाग ।

<u>जून, 2013 में सेवानिवृत्त पदाधिकारी</u>

1. श्री राजीव चौहान- 26वी0 संयुक्त सचिव, निदेशक, सांख्यिकी विभाग ।
2. श्री कृष्ण कुमार अग्रवाल- 27वीं0 विशेष सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग ।
3. श्री देवकान्त दिवाकर- 27वीं0 संयुक्त निदेशक, समाज कल्याण विभाग ।
4. श्री राजेन्द्र प्रसाद-27वीं0 अपर सचिव, विश्वास बोर्ड ।
5. श्री शिवेन्द्र नाथ त्रिपाठी-27वीं- संयुक्त सचिव, वित्त विभाग ।

6. श्री बलराम सिंह- 27वीं0 अपर सचिव, सहकारिता विभाग ।
7. श्री हरिशंकर सिंह -28वीं0 संयुक्त सचिव, आयुक्त के सचिव मुजफ्फरपुर ।
8. श्री अनिल सिन्हा- 28वीं- संयुक्त सचिव, आपदा प्रबंधन प्राधिकार ।
9. श्री श्याम बिहारी राय - 28वी संयुक्त सचिव, पथ निर्माण विभाग ।
10. श्री छठी लाल प्रसाद- 29वी संयुक्त सचिव, आयुक्त के सचिव सहरसा ।
11. श्री राम चन्द्र प्रसाद - 29वी संयुक्त सचिव, निगरानी विभाग ।
12. श्री उदय प्रसाद- 31वी0 उप निदेशक, खाद्य मगध प्रमंडल, गया।
13. श्री रविन्द्र प्रसाद - 33वी0 निदेशक लेखा, लखीसरास ।
14. श्री एनामुल हक - 34 वी0 आप्त सचिव, अनु०जाति एवं जाति आयोग।
15. श्री छगुरी मंडल - 37 वी0 वरीय उप समाहर्त्ता सीवान ।

<u>जुलाई,2013 में सेवानिवृत्त पदाधिकारी</u>

1. श्री विनोद प्रसाद सिंह- 27वीं0-विशेष सचिव, मंत्रिमंडल विभाग ।
2. श्री महेश्वर प्रसाद सिंह - 28वी0 अपर सचिव, कला संस्कृति विभाग ।
3. श्री शैलेन्द्र कुमार- 28वीं महाप्रबंधक पर्यटन
4. श्री किशोरी साव- 28वीं अपर सचिव, व्यवस्थापक वेतिया राज वेतिया
5. श्री प्रभात शर्मा-30वी मूल कोटि सेवा नगर निगम
6. श्री शिव जन्म महतो-30वी विशेष कार्य पदाधिकारी, श्रम संसाधन विभाग ।
7. श्री रामचन्द्र प्रसाद-30वी अपर समाहर्त्ता नालंदा ।
8. श्री विद्या राम- 38वी जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी, गोपालगज ।

<u>अगस्त, 2013 में सेवानिवृत्त पदाधिकारी</u>

1. श्री अभय कुमार सिन्हा- 27वी0- सहायक निदेशक, कृषि विभाग ।
2. श्री रविन्द्र नाथ तिवारी- 27वी0- विशेष सचिव, निगरानी विभाग ।
3. श्री महेश्वर पासवान-27वी0 विशेष सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
4. श्री जितेन्द्र प्रसाद-28वी0 संयुक्त सचिव, शिक्षा विभाग ।
5. श्री राम कृष्ण प्रसाद-28वी0 अपर सचिव, निर्वाचन विभाग ।
6. श्री सुधीर कुमार सिंह-30वी0 संयुक्त सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग ।
7. श्री रमेश प्रसाद-30वी0 संयुक्त सचिव, उप निदेशक, पचायतीराज पटना प्रमंडल ।
8. श्री नारायण प्रसाद-33वी0 उप निदेशक प्रशासन, शिक्षा विभाग ।

<u>सितम्बर, 2013 में सेवानिवृत्त पदाधिकारी</u>

1. श्री मुकेश कुमार सिन्हा- 27वी0- विशेष सचिव, श्रम संसाधन विभाग।

<u>अक्टूबर, 2013 में सेवानिवृत्त पदाधिकारी</u>

1. श्री शंभुनाथ मिश्र- 27वी0- विशेष सचिव, ऊर्जा विभाग ।
2. श्री जितेन्द्र कुमार सिंह-28वी0 जिला परिवहन पदाधिकारी, सुपौल ।

नवम्बर, 2013 में सेवानिवृत्त पदाधिकारी

1. श्री प्रताप नारायण सिंह- 26वी0- जिला आपूर्ति पदाधिकारी, नवादा।
2. श्री अतुल कुमार सिन्हा-27वी0 विशेष सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग ।
3. श्री अजीत कुमार सिंह-27वी0 विशेष सचिव, निदेशक, कला संस्कृति विभाग ।
4. श्री भूपेन्द्र कुमार सिंह-27वी0 अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग ।
5. श्री रविन्द्र नाथ घटक-28वी0 अपर सचिव, लोकायुक्त पटना
6. श्री राजेन्द्र प्रसाद महतो-28वी0 उप निदेशक पंचायती मुंगेर प्रमंडल
7. श्री आनन्द बिहारी प्रसाद-29वी अपर सचिव सामान्य प्रशासन विभाग
8. श्री राजेन्द्र प्रसाद-31वी0 अपर समाहर्त्ता आपदा कटिहार
9. मो० अहाऊर रहमान-31वी0 वरीय उप समाहर्त्ता आरा

सभी पदाधिकारियों का भावभिनी विदाई दी गयी। उन्हें बिहार प्रशासनिक सेवा का प्रतीक चिन्ह प्रदान किया गया। सभी सदस्यों से उपरोक्त कंडिका (4) के साथ-साथ सेवा निवृत बिहार प्रशासनिक सेवा संघ के साथ जुड़ने का अनुरोध किया गया।

7. स्व० कमलेश कुमार पाठक कोटि क्रमांक 384/11 (33वी बैच) का दिनांक 06.11.13 को बीमारी से मृत्यु हो जाने पर गहरा दुःख प्रकट किया गया। दिवंगत आत्मा की शान्ति हेतु दो मिनट का मौन रखा गया।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ अध्यक्ष द्वारा बैठक की कार्रवाई समाप्त की गई।

ह०/-
(सुशील कुमार)
महासचिव

ह०/-
(सुरेश कुमार शर्मा)
अध्यक्ष

ज्ञापांक- 71

दिनांक- 23/12/2013

प्रतिलिपिः- केन्द्रीय कार्यकारिणी के सभी सदस्यों/सभी आमंत्रित सदस्यों/ सभी विशेष आमंत्रित सदस्य/अध्यक्ष/सचिव सभी जिला इकाई को सूचनार्थ प्रेषित।

(सुशील कुमार)
महासचिव

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना – 800001

(पंजीयन सं. – 633 / 2003)

Websitie : basabihar.in, E-mail Id: infobasa1@gmail.com,

संयुक्त सचिव ✳ राजयनन्द वार्डियार
✳ अनिल कुमार

कोषाध्यक्ष ✳ चन्द्र शेखर सिंह

संयुक्त कोषाध्यक्ष ✳ विनोद आनन्द

कार्य. अध्यक्ष
✳ सुरेश पासवान
मो.– 9431468605

महासचिव.
✳ सुशील कुमार
मो. – 9431091417, Email shushilkumar09@gmail.com

दिनांक 18/12/2016

पत्रांक 56

दिनांक– 18.12.2016 को केन्द्रीय कार्यकारणी की बैठक की कार्यवाही:–

उपस्थिति पंजी के अनुसार

बैठक में सर्वप्रथम सदस्यों के मामलों पर विचार किया गया जो निम्न प्रकार है:–

(i) सदस्यों को बताया गया कि 39th Batch के पदाधिकारी को वर्ष 2016 में 20वीं वर्ष की सेवा पूरी होने पर द्वितीय एम0ए0सी0पी0 दी जाने हेतु सामान्य प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा रही है।

(ii) 41, 42वीं बैंच के पदाधिकारी की सेवा क्रमशः 17, 16 वर्ष पूरी हो चुकी है दोनों बैंच की सेवा छठा वेतनमान लागू होने से पूर्व ही क्रमशः 7, 6 वर्ष पूरी हो चुकी थी परन्तु इन्हें द्वितीय एम0ए0सी0पी0 7600 ग्रेड पे का लाभ नहीं देकर इन्हें PB2- GP 5400 से PB3- GP 5400 को प्रथम एम0ए0सी0पी0 मान लिया गया। इसके लिए संघ समादेशवाद दायर किया जिसमें आदेश होने के बावजूद सरकार द्वारा अनुपालन नहीं किये जाने की स्थिति में अवमाननावाद दायर किया गया है। फिलहाल वित्त विभाग के गलत परिभाषा के अनुसार 41, 42वीं को वर्ष 2016 में ग्रेड पे 6600 देने की कार्रवाई की जा रही है।

(iii) प्रोन्नति वाले पद पर काफी पद रिक्त है इसके लिए कालवधि क्षांत करने की कार्रवाई की जा रही है ताकि शीघ्रता से प्रोन्नति हो सके।

(iv) संघ के द्वारा बार–बार सरकार से यह मॉग की जा रही थी कि गैर संवर्गीय पद के विरूद्ध प्रोन्नति दी जाय। इस पर सरकार द्वारा विचार करते हुए पद सृजन पर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है।

(v) कई वरीय पदाधिकारियों का वेतन कनीय पदाधिकारी से कम होने की स्थिति में Step up करने का प्रावधान किया गया है इसके लिए सदस्यों को आवेदन देने को कहा गया। जिनके द्वारा आवेदन पूर्व में दिया गया था इस पर कार्रवाई हो चुकी है आदेश शीघ्र ही निर्गत होगा।

(vi) वर्ष 13, 14, 15 के लिए बि०प्र०से० से भा०प्र०से० में प्रोन्नति में कई सदस्यों द्वारा वार्षिक गोपनीय अभ्युक्ति उपलब्ध नहीं होने के कारण विलम्ब हो रहा है। सदस्यों से अनुरोध किया गया वार्षिक गोपनी अभ्युक्ति अभिलेखन हेतु ससमय विवरणी प्रतिवेदन पदाधिकारियों के समक्ष दी जाय एवं इसकी सूचना सामा प्रशासन एवं संघ को भी दी जाय।

आम सभा की तिथि पर चर्चा की गयी सदस्यों को बताया गया कि माननीय मुख्यमंत्री से समय लिया जा रहा है समय मिलने की प्रबल सम्भावना है माननीय मुख्यमंत्री जो तिथि तय करेगें उस तिथि को आम सभा बुलायी जायेगी।

3. Basa Bylaws के कंडिका–2(ii)(b) में वर्णित है कि The Subscription for life membership shall be Rs. 1000/- (One Thousand) or as decided by the Central executive committee from time to time.

इसे बढ़ाकर रूपये 5000 पूर्व में किया जा चुका है। Life Time Member के संदर्भ में यह चर्चा हुई कि जो Working Member है उन्हें ही Life Time Member देना होता है इसमें आवश्यक संशोधन का प्रस्ताव पारित किया गया कि Life Time Membership सेवानिवृत पदाधिकारी, BAS से IAS में प्रोन्नत पदाधिकारी एवं तदोंपरान्त सेवानिवृत पदाधिकारी को Life time Membership दे सकते है। जिन्हें विशेष आयोजन पर आमंत्रित किया जा सके। इसे आगामी आम सभा में पारित कराने पर विचार किया गया।

4. सातवें वेतन के संदर्भ में चर्चा की गई। सदस्यों को जानकारी दी गई कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली सरकार ने 01.01.2016 की तिथि से, गुजरात सरकार 01.08.2016 से, मध्यप्रदेश सरकार वर्त्तमान कि तिथि वर्ष (यानी 01.04.2016 से) से, उड़ीसा, झारखंड सरकार द्वारा सातवें वेतन लागू करने हेतु फिटमेंट कमिटी का गठन कर दिया है। बिहार में अभी फिटमेंट कमिटी का गठन नहीं हुआ है। बि०प्र०से० संघ, माननीय मुख्यमंत्री से सातवें वेतन 01.01.2016 से लागू करने का अनुरोध कर चुका है।

विचारोंपरान्त यह निर्णय लिया गया कि उपरोक्त राज्यों का विवरणी देते हुए सरकार से वगैर फिटमेंट कमिटी का गठन किये 01.01.2016 से सातवें वेतन को लागू करने का अनुरोध किया जाय।

5. माह अगस्त, 2016 से नवम्बर, 2016 तक सेवानिवृत बि०प्र०से० के पदाधिकारी इस प्रकार हैः–

<u>माह अगस्त, 2016 में बि०प्र०से० के सेवानिवृत पदाधिकारी 31.08.2016</u>

i. श्री प्रमोद कुमार बिहारी 28वीं विशेष सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, पटना
ii. श्री देवनन्दन यादव 30वीं विशेष सचिव, श्रम संसाधन विभाग, पटना

<u>माह सितम्बर, 2016 में बि०प्र०से० के सेवानिवृत पदाधिकारी 30.09.2016</u>

i. श्रीमती रीता कुमारी 29वीं आयुक्त के सचिव, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर
ii. श्री अशोक कुमार झा 32वीं अपर सचिव, परिवहन विभाग, पटना

<u>माह अक्टूबर, 2016 में बि०प्र०से० के सेवानिवृत पदाधिकारी 31.10.2016</u>

i. श्री अरूण कुमार प्रसाद 29 वीं विशेष सचिव, परिवहन विभाग, पटना
ii. श्री केदार नाथ 30वीं आयुक्त के सचिव, दरंभगा प्रमंडल, दरंभगा
iii. श्री अरूण कुमार 32वीं अपर सचिव, सहकारिता विभाग, पटना
iv. श्री व्यासमुनि 'प्रधान 32वीं अपर सचिव, वित्त विभाग, पटना
v. श्री कुमार विजयेन्द्र प्रसाद 33वीं आयुक्त के सचिव, मुजफ्फरपुर
vi. श्री नरेन्द्र कुमार झा 33वीं संयुक्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना
vii. श्री सुखदेव प्रसाद 37वीं जिला पंचायती राज पदाधिकारी, मुंगेर

माह नवम्बर, 2016 में बि०प्र०से० के सेवानिवृत पदाधिकारी 30.11.2016

i. श्री महेन्द्र कुमार भारती 27वीं भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, समस्तीपुर

ii. मो0 एनामुल हक सिद्धिकी 34वीं अपर समाहर्त्ता, बक्सर

सभी सदस्यों को सम्मान स्वरूप बासा का प्रतीक चिन्ह प्रदान किया जाता है।

6. माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के आलोक में निम्न दो पदाधिकारियों का बि०प्र०से० से बिहार पुलिस सेवा में परिवर्त्तन किया गया हैः—

i. श्री अरविन्द ठाकुर तत्कालीन DLAO, मुजफ्फरपुर

ii. श्री अमजद अली तत्कालीन Dir. NEP, मुंगेर।

इन्हें भी सम्मान स्वरूप बासा का प्रतीक चिन्ह प्रदान किया गया।

7. श्री आनन्दवर्द्धन (भा०प्र०से०), तत्कालीन अध्यक्ष, राजस्व पर्षद, सम्प्रति सेवानिवृत को बि०प्र०से० के पदाधिकारी को तीव्र गति से प्रोन्नति/एम0ए0सी0पी0' देने हेतु DPC की बैठक करने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया गया एवं उन्हें सम्मान स्वरूप बासा का प्रतीक चिन्ह प्रदान किया गया।

8. मधुबनी जिला अन्तर्गत जयनगर अनुमंडल पदाधिकारी श्री मुस्तफा कमाल अंसारी को निगरानी द्वारा गिरफ्तार किये जाने पर चर्चा की गई। जिला इकाई मधुबनी द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि अनुमंडल पदाधिकारी को रंगे हाथ न पकड़कर अन्य व्यक्ति को जबरन पैसा एवं अन्य वस्तुएँ थमाकर अमानवीय तरीके से गिरफ्तार किया गया।

इसी क्रम में यह जानकारी प्राप्त हुआ है कि घूस लेने के मामले में सत्यापन का कार्य पुलिस द्वारा किया जाता है जो उचित नहीं है।

उपरोक्त परिस्थिति में विचार किया गया कि संघ सरकार से अनुरोध करेगा किः—

i. घूस माँगने के मामले का सत्यापन डी0एस0पी0 स्तर के पदाधिकारी से करायी जाय।

ii. मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में Trap हो की माँग पूर्व में की गई है को अमल में लाने हेतु पुनः अनुरोध की जाय।

iii. जयनगर अनुमंडल पदाधिकारी के घटनाक्रम की निष्पक्ष जाँच कर न्याय देने का अनुरोध सरकार से की जाय।

9. बि०प्र०से० संघ द्वारा प्रकाशित **"भू—राजस्व न्यायालय प्रक्रिया"** पुस्तक का विमोचन श्री विवके कुमार सिंह, भा०प्र०से०, प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा किया गया। इसे राजस्व विभाग के सहयोग से अपर समाहर्त्ता/भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता/अंचल अधिकारी व अन्य इच्छुक पदाधिकारी को रूपये 600 के मूल्य पर दी जाएगी।

10. श्री विवेक कुमार सिंह, भा०प्र०से०, भारतीय प्रशासनिक सेवा संघ के सचिव है। भारतीय प्रशासनिक सेवा संघ का बिहार प्रशासनिक सेवा संघ का Interaction के क्रम में बिहार प्रशासनिक सेवा संघ द्वारा बताया गया कि वार्षिक गोपनीय अभ्युक्ति का अभिलेखन भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी के द्वारा किया

जाता है। कई मामले में यह कार्य ससमय नहीं हो पाता है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के कुछ पदाधिकारी द्वारा सामान्य बोलचाल की भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है जिससे प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। अभी हाल में बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी का चयन चन्द्रगुप्त प्रबंधन संस्थान में प्रशासकीय प्रबंधन कार्यक्रम के लिए किया गया परन्तु कई जिला पदाधिकारी द्वारा कुछ पदाधिकारी को उक्त प्रशिक्षण के लिए विरमित नहीं किया गया है। जिससे बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी में रोष व्याप्त होना स्वभाविक है।

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ द्वारा सचिव भारतीय प्रशासनिक सेवा संघ से उपरोक्त बिन्दुओं पर सकरात्मक निदेश भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी को देने का अनुरोध किया गया।

श्री विवेक कुमार सिंह, भा०प्र०से०, सचिव, भारतीय प्रशासनिक सेवा संघ द्वारा बिहार प्रशासनिक सेवा संघ के उपरोक्त बिन्दु पर सकारात्मक पहल करने हेतु आश्वत किया गया।

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ द्वारा श्री विवेक कुमार सिंह, भा०प्र०से० को बिहार प्रशासनिक सेवा संघ के साथ समय देने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया गया तथा सम्मान स्वरूप उन्हें बासा प्रतीक चिन्ह प्रदान किया गया। भारतीय प्रशासनिक सेवा संघ के पदाधिकारी श्री मिथिलेश मिश्र, निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप एवं श्री एच.आर. निवास, सचिव (संसाधन) वित्त ~~[illegible] विनोद [illegible], सचिव, [illegible]~~ को भी आज की बैठक में भाग लेने हेतु धन्यवाद दिया गया तथा सम्मान स्वरूप उन्हें बासा का प्रतीक चिन्ह प्रदान किया गया।

11. स्व० अजय कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी, (कोटि क्रमांक–437 / 11) 33वीं बैंच, आपदा का निधन दिनांक– 11.09.2016 को एवं झारखंड प्रशासनिक सेवा के 35 वीं बैंच के पदाधिकारी स्व० अंजनी कुमार सम्प्रति अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग का निधन दिनांक– 13.12.2016 को हो गया। दिवंगत आत्मा की शांति हेतु एक मिनट का मौन रखा गया।

तदोपरान्त सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

(सुशील कुमार)
महासचिव,

18/12/16
(सुरेश पासवान)
अध्यक्ष,

प्रतिलिपिः– केन्द्रीय कार्यकारिणी के सभी सदस्य / सभी विशेष आमंत्रित सदस्य / सभी आमंत्रित सदस्य / अध्यक्ष / सचिव सभी जिला इकाई को सूचनार्थ प्रेषित।

(सुशील कुमार)
महासचिव

प्रतिलिपिः– सम्पादक सभी दैनिक समाचार पत्रों हिन्दी / अंग्रेजी को प्रकाशनार्थ प्रेषित।

(सुशील कुमार)
महासचिव

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना–800 001

(पंजीयन सं०–633/2003)

Website: basabihar.in , E-mail Id : infobasa1@gmail.com

अधयक्ष,
* सुरेश कुमार शर्मा
मो० 9470003023/9431479774

महासचिव,
* सुशील कुमार
मो० 9431091417

उपाधयक्ष :– * सआदत हसन मिन्टू, * राजेन्द्र राम

संयुक्त सचिवः – * राजयनन्द वार्डियार, * अनिल कुमार

कोषाधयक्षः – * चन्द्र शेखर सिंह

संयुक्त कोषाधयक्षः – * विनोद आनन्द

पत्रांक : 97 दिनांक 13-12-2015

दिनांक–13.12.2015 को बिहार प्रशासनिक सेवा संघ की केन्द्रीय कार्यकारिणी की हुई बैठक की कार्यवाहीः–

उपस्थितिः– पंजी के अनुसार

सर्वप्रथम सदस्यों को यह बताया गया कि श्री सुरेश कुमार शर्मा अध्यक्ष दिनांक–30.11.2015 को सेवा निवृत हो चुके है इस कारण श्री राजेन्द्र राम उपाध्यक्ष को कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में सम्मानित करते हुए उनकी अध्यक्षता में बैठक प्रारंभ की गई।

2. सदस्यों को बताया गया कि संघ के द्वारा दायर समिक्षावाद संख्या–2670/14 जो 39 वीं बैच को ACP/MACP देने के संदर्भ में था का निष्पादन माननीय उच्च्व न्यायालय में हो चुका है। सरकार के द्वारा 39वीं बैंच के पदाधिकारी को देय ACP दे दी गई है।

3. बिहार प्रशासनिक सेवा के सदस्यों को मेदान्ता गुड़गॉव, दिल्ली में इलाज कराने पर 10 प्रतिशत का छूट देने की जानकारी दी गई। इसके लिए सरस्यों को अध्यक्ष/महासचिव के द्वारा संघ का पत्र एवं अपना ID प्रस्तुत करना होगा।

4. केन्द्रिय कार्यकारणी में सेवा निवृत संघ के पदधारक या संघ को स्वेच्छा से सेवा देने वाले पदाधिकारी को सम्मानित/संगरक्षक सदस्य के रूप में रखने पर विचार किया गया। अगामी आम सभा में इसका अनुमोदन प्राप्त किया जा सकेगा।

5. BAS Club बनाने पर चर्चा की गई। इस Club के सदस्यों हेतु खेलकुद यथा वेडमिन्टन/टेबल टेनिस/कैरम वोर्ड/जिम सामग्री व अन्य उपलब्ध रहेगा। समय का निर्धारण Club के सदस्यों द्वारा किया जायेगा। इस Club को नामांकन शुल्क रू0 100.00 एवं वार्षिक शुल्क रू0 200.00 रखा गया।

6. **माह आक्टूबर, 2015 में सेवा निवृत पदाधिकारी इस प्रकार हैः–**

1. श्री ललित नारायण मिश्र, उप निदेशक पंचायतीराज पुर्णिया प्रमंडल, पुर्णिया 29वीं0
2. श्री चन्द्रशेखर नारायण–उप सचिव निगराणी विभाग, पटना 31वीं0

माह नवम्बर, 2015 में सेवा निवृत पदाधिकारी इस प्रकार हैः–

1. श्री राधा मोहन प्रसाद–सचिव वी0पी0एस0सी0, पटना–27वीं0
2. श्री सुरेश कुमार शर्मा–संयुक्त सचिव स्वास्थ विभाग, पटना–31वीं0
3. मो0सलीम अख्तर अंसारी–उप सचिव राज्य मानवाधिकार आयोग, पटना–38वीं0

सेवा निवृत सभी पदाधिकारी को बासा का प्रतीक चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया।

7. बिहार प्रशासनिक सेवा से सेवा निवृत होने के उपरान्त श्री रावी रंजन को B.P.SC. का सदस्य मनोनित किये जाने पर हर्ष व्यक्त किया गया तथा उन्हे बासा का प्रतीक चिन्ह दे कर सम्मानित किया गया।

8. सभी सदस्यों (सेवानिवृत/भा0प्र0से0 में प्रोन्नति सहित) से संघ भवन निर्माण हेतु सहयोग राशि देने का अनुरोध किया गया।

अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

(सुशील कुमार)
महासचिव

(राजेन्द्र राम)
अध्यक्ष

ज्ञपांकः— 97 पत्रांक दिनांकः— 13-12-2015

प्रतिलिपिः— केन्द्रीय कार्यकारिणी के सभी सदस्य/सभी विशेष आमंत्रित सदस्य/सभी आमंत्रित सदस्य/अध्यक्ष/सचिव सभी जिला इकाई को सूचनार्थ प्रेषित।

(सुशील कुमार)
महासचिव